न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 253/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/404

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
प्रभूराम पुत्र पेमाराम जाति मेघवाल निवासी बुड़ीवाड़ा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.सामीराम पुत्र गोकाराम 2.उदाराम पुत्र गंगाराम 3.मोहनराम पुत्र गंगाराम 4.मादाराम उर्फ माधाराम पुत्र पेमाराम 5.सुजीदेवी पत्नि पेमाराम 6.खेताराम दत्तक पुत्र करताराम 7.कूंपाराम पुत्र पंचाणाराम 8.केवलराम पुत्र पंचाणाराम नाबालिग जरिए कुदरती वली प्रार्थीनी संख्या 07 शांति पत्नी पचाणाराम जाति मेघवाल निवासी बुड़ीवाड़ा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 9.टीकमाराम पुत्र प्रतापाराम 10.सांवलाराम पुत्र प्रतापाराम 11.मथरादेवी पत्नि गोबरराम 12.राणाराम पुत्र अमराराम जाति मेघवाल निवासी बुड़ीवाड़ा तहसील पचपदरा 13.स्टेट बैक ऑफ इण्डिया शाखा टापरा 14.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री तख्तसिंह नामा अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री जोबिन खान अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 01 से 3,5,6,8,10 व 12 अनुपस्थित।

3.विप्रार्थी संख्या 4,7,9,11,13 व 14 एकपक्षीय।

आदेश

दिनांक 24/3/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बुड़ीवाड़ा तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 150 प्रार्थी व विप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित थे। विवादित आराजी का बंटवाड़ा न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 16.9.1993 के द्वारा हुआ था तथा तत्कालीन हल्का पटवारी को न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की अनुपालना में ही विवादित आराजी की तरमीम कायम की जानी चाहिए थी,लेकिन तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा निर्णय के विपरीत जाकर लटढा नक्शा में अशुद्ध तरमीम कायम की गई,जिसके कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि की विदयमान तरमीम को निरस्त किया जाकर न्यायालय हाजा के निर्णय एवं डिक्री मुताबिक तरमीम दुरूस्ती करवाने हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया।

2. प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्री नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री जोबिन खान द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 से 3,5,6,8,10 व 12 की ओर से वकालतनामा पेश कर प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 4,7,9,11,13 व 14 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 01 से 3,5,6,8,10 व 12 के अधिवक्ता वक्त बहस अनुपस्थित रहे।

3.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम बुड़ीवाड़ा तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 150 प्रार्थी व विप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित थे। विवादित आराजी का बंटवाड़ा न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 16.9.1993 के द्वारा हुआ था तथा तत्कालीन हल्का पटवारी को न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की अनुपालना में ही विवादित आराजी की तरमीम कायम की जानी चाहिए थी,लेकिन तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा निर्णय के विपरीत जाकर लटढा नक्शा में अशुद्ध तरमीम कायम की गई,जिसके कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपने जवाब में

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

स्वीकार किया है कि विवादित आराजी की तरमीम मौका स्थिति के विपरीत रखी है। अतं प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर माफिक अनुतोष आवेदन स्वीकार किया जावें।

4.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में मुख्य उजर उठाया कि विवादित आराजी का बंटवाड़ा न्यायालय हाजा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.8.1993 के द्वारा हुआ था,उक्त निर्णय के मुताबिक रेकर्ड में तरमीम करने के बजाय विपरीम तरमीम कर दी गई। प्रार्थी न्यायालय हाजा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.8.93 के मुताबिक तरमीम करवाने चाहते है। प्रार्थी के आवेदन के समर्थन में विप्रार्थी संख्या 01 से 3,5,6,8,10 व 12 की ओर से जरिए अधिवक्ता प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर इकबाली जवाब पेश किया गया। विप्रार्थी तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि विवादित आराजी की न्यायालय हाजा के निणर्य एवं डिक्री के मुताबिक तरमीम नहीं हो रखी है। ऐसी सूरत में हस्तगत प्रकरण में विदयमान तरमीम को यथावत रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है तथा हस्तगत प्रकरण को तहसीलदार पचपदरा को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी विवादित भूमि की तरमीम दुरूस्ती करवाने का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–बुड़ीवाड़ा तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 150 से विभक्त होकर बने खसरान नम्बर 778/150, 1221/150, 775/150, 777/150, 1218/150, 776/150,1219/150,1220/150 की विदयमान तरमीम निरस्त की जाती है तथा तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजी का आप स्वंय मौका मुआयना करते हुए न्यायालय हाजा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.8.1993 को मध्यनजर रखते हुए नये सिरे से तरमीम किए जाने के आदेश विधिनुसार पारित करें।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 24/3/25 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
24/03/2025